



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 05 मार्च, 2008

फाल्गुन 15, 1929 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 452/79-वि-1-08-1(क)-4-2008

लखनऊ, 05 मार्च, 2008

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2008 पर दिनांक 04 मार्च, 2008 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 2008 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2008

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 2008)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2008 कहा जायेगा।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 1 जनवरी, 2008 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या
30 सन् 2007 की
धारा 2 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 की उपधारा (2) में शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2007" रख दिये जायेंगे।

धारा 3 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 3 में-

(क) उपधारा (1) में-

(एक) खण्ड (क) में शब्द "व्यापार कर" विभाग के कमिश्नर, विशेष कमिश्नर व्यापार कर, एडीशनल कमिश्नर व्यापार कर, ज्वाइन्ट कमिश्नर व्यापार कर, के स्थान पर शब्द "वाणिज्य कर विभाग के कमिश्नर, विशेष कमिश्नर, एडीशनल कमिश्नर और ज्वाइन्ट कमिश्नर" रख दिये जायेंगे;

(दो) खण्ड (ख) में शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2007" रख दिये जायेंगे;

(तीन) खण्ड (ग) में शब्द "व्यापार कर विभाग में" के स्थान पर शब्द "वाणिज्य कर विभाग में" और शब्द "व्यापार कर विभाग में तैनात सभी व्यापार कर अधिकारी" के स्थान पर शब्द "वाणिज्य कर विभाग में तैनात सभी वाणिज्य कर अधिकारी" रख दिये जायेंगे;

(चार) खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा :-

"(घ) राज्य सरकार या कमिश्नर द्वारा वाणिज्य कर सर्किल में तैनात वाणिज्य कर अधिकारी से अनिम्न स्तर का कोई अधिकारी, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2007 की धारा 45, 46 एवं 48 के अधीन शक्ति का प्रयोग करने के लिये राज्य सरकार अथवा कमिश्नर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी और उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2007 की धारा 49 के अधीन स्थापित किसी जांच चौकी पर तैनात वाणिज्य कर अधिकारी से अनिम्न स्तर के अधिकारी इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारक अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करेंगे।"

(ख) उपधारा (2) में शब्द "कमिश्नर व्यापार कर" के स्थान पर "कमिश्नर वाणिज्य कर" और शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2007" रख दिये जायेंगे।

धारा 4 का
संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 4 में उपधारा (5) में शब्द "ऐसे माल का कुल मूल्य निर्माता की दशा में दो लाख रुपये व अन्य व्यापारी की दशा में तीन लाख रुपये" के स्थान पर शब्द "ऐसे माल का कुल मूल्य पांच लाख रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 6 का संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा 6 में शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2007" रख दिये जायेंगे।

धारा 8 का संशोधन

6-मूल अधिनियम की धारा 8 में-

(क) उपधारा (1) में प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2007" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (3) में शब्द, अंक और अक्षर "उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 की धारा 8-क की उपधारा (1-क), (1-ख), (1-ग), (1-घ), 2, 3 एवं 4 के प्रावधान" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2007 की धारा 17 के प्रावधान" रख दिये जायेंगे।

7—मूल अधिनियम की धारा 11 में उपधारा (1) में शब्द, अंक और अक्षर "उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 की धारा 2 के खण्ड (ग) के अन्तर्गत" के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर "उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2007 की धारा 2 के खण्ड (ज) के अन्तर्गत" रख दिये जायेंगे।

धारा 11 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 12 में उपधारा (5) में शब्द, अंक और अक्षर "उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 की धारा 8-घ" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2007 की धारा 34" और शब्द और अंक "धारा 8 की उपधारा (1)" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 33 की उपधारा (2)" रख दिये जायेंगे।

धारा 12 का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 13 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेंगी, अर्थात् :-

धारा 13 का संशोधन

"13 उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2007 के निम्नलिखित उपबन्ध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित इस अधिनियम के अधीन सभी व्यापारियों और कार्यवाहियों पर लागू होंगे :-

(एक) धारा 9—फर्म, व्यक्तियों के संघ और हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का दायित्व;

(दो) धारा 10—मृत व्यक्ति द्वारा देयकर का भुगतान उसके प्रतिनिधियों द्वारा किया जायेगा;

(तीन) धारा 11—नाबालिग या असमर्थ व्यक्ति के मामले में कर का दायित्व;

(चार) धारा 12—प्रतिपाल्य अधिकरण के मामले में दायित्व;

(पांच) धारा 16—साबित करने का भार;

(छ) धारा 19—राजस्व के हित में प्रतिभूति;

(सात) धारा 21—व्यवहारी द्वारा रखे जाने वाले लेखे और दस्तावेज;

(आठ) धारा 29—कर निर्धारण से वंचित रह गये आवर्त का कर निर्धारण;

(नौ) धारा 30—आवर्त, कर आदि को पूर्णांक करना;

(दस) धारा 31—त्रुटियों का संशोधन;

(ग्यारह) धारा 32—कर निर्धारण या शास्ति के एक पक्षीय आदेश को रद्द करने की शक्ति;

(बारह) धारा 33—कर का संदाय और वसूली;

(तेरह) धारा 36—नगण्य धनराशियों की वसूली या उनकी वापसी की उम्पेक्षा किया जाना;

(चौदह) धारा 39—किश्त की सुविधा प्रदान करने की शक्ति;

(पन्द्रह) धारा 40—वापसी और समायोजन;

(सोलह) धारा 43—व्यवहारियों द्वारा कर के रूप में त्रुटिपूर्ण ढंग से वसूल की गयी धनराशि के वितरण की प्रक्रिया;

(सत्रह) धारा 45—लेखों, दस्तावेजों को दिखाने की आज्ञा देने की शक्ति और प्रवेश, निरीक्षण, तलाशी और जब्त करने की शक्ति;

(अठारह) धारा 48—माल अभिग्रहीत करने की शक्ति;

(उन्नीस) धारा 49—जांच चौकियों और नाकों की स्थापना;

(बीस) धारा 50—घोषणा पत्र द्वारा सड़क मार्ग से राज्य में माल का आयात;

(इक्कीस) धारा 51—राज्य में रेल, वायुमार्ग, डाक, नदी या रज्जुमार्ग द्वारा माल का आयात;

(बाइस) धारा 52—राज्य से होकर सड़क मार्ग से माल जाने के लिये प्राधिकार-पत्र (बहती) जारी करना;

(तेईस) धारा 53—पुलिस से सहायता लेने की शक्ति;

(चौबीस) धारा 54—कतिपय मामलों में शक्तियां;

(पच्चीस) धारा 55—अपील;

(छब्बीस) धारा 56—कमिश्नर द्वारा पुनरीक्षण;

(सत्ताईस) धारा 57—अधिकरण;

(अट्ठाइस) धारा 58—विशेष मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण;

(उन्तीस) धारा 59—कमिश्नर द्वारा विवादग्रस्त प्रश्नों का अवधारण;

(तीस) धारा 60—आदेश जिसके विरुद्ध कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं होगा;

(इक्तीस) धारा 61—अपील में अतिरिक्त साक्ष्य;

(बत्तीस) धारा 66—अधिकारिता के सम्बन्ध में आपत्ति;

(तैंतीस) धारा 67—हानि रक्षा;

(चौतीस) धारा 68—कतिपय कार्यवाहियों पर रोक;

(पैंतीस) धारा 69—कुछ ऐसी सूचना जो गोपनीय होगी;

(छत्तीस) धारा 71—रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के लिये सुविधा;

(सैंतीस) धारा 72—कतिपय मामलों में शुल्क;

(अड़तीस) धारा 73—राजस्व को कपटवंचित करने के लिये अन्तरण का शून्य होना;

(उन्तालीस) धारा 74—अधिसूचना जारी करने की शक्ति;

(चालीस) धारा 75—व्यापार के परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रस्तुत की जाने वाली सूचना;

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2007 के प्रावधानों के अन्तर्गत खरीद या बिक्री का व्यापारवर्त, या दोनों, जैसी भी स्थिति हो, के संदर्भ इस अधिनियम के अधीन अनुसूचित माल के मूल्य के संदर्भ समझे जायेंगे।"

उत्तर प्रदेश
अध्यादेश
सं० 1
सन् 2008

10-(1) उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अध्यादेश, 2008 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

निरसन और
अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

राज्य में माल के विक्रय एवं क्रय पर कर के उद्ग्रहण और संग्रह के लिए मूल्य संवर्धित कराधान प्रणाली प्रारम्भ करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 37 सन् 2007) राज्यपाल द्वारा दिनांक 20 दिसम्बर, 2007 को प्रख्यापित किया गया और उसे 01 जनवरी, 2008 से प्रवर्तित किया गया। चूंकि उक्त अध्यादेश द्वारा उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 निरसित कर दिया गया था, अतः उक्त अध्यादेश द्वारा उक्त अधिनियम के सन्दर्भों एवं उसकी धाराओं तथा उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 की सुसंगत धाराओं में उक्त अध्यादेश के प्रारम्भ होने के दिनांक अर्थात् 01 जनवरी, 2008 से परिवर्तन करना आवश्यक हो गया था। अतएव, यह विनिश्चय किया गया कि उक्त प्रयोजन के लिए उक्त अधिनियम को संशोधित किया जाय।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाई करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 11 जनवरी, 2008 को उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2008) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
सै० मजहर अब्बास आब्दी,
प्रमुख सचिव।

No. 452(2)/LXXIX-V-1-1 (ka) 4-2008

Dated Lucknow, March 05, 2008

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sthaniya Kshetra Men Mal Ke Pravesh Par Kar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2008 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 7 of 2008) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 04, 2008.

THE UTTAR PRADESH TAX ON ENTRY OF GOODS INTO LOCAL AREAS
(AMENDMENT) ACT, 2008
(U. P. ACT No. 7 of 2008)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN
ACT

furth^r to amend the Uttar Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 2007.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-ninth year of the Republic of India as follows :-

1.(1) This Act may be called the Uttar Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Areas (Amendment) Act, 2008.

Short title and
commence-
ment

(2) It shall be deemed to have come into force on January 1, 2008.

Amendment of
section 2 of
U.P. Act no.
30 of 2007

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 2007, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (2) for the words and figure "the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948" the words and figure "the Uttar Pradesh Value Added Tax Ordinance, 2007" shall be *substituted*.

Amendment of
section 3

3. (1) In section 3 of the principal Act, –
(a) in sub-section (1),–

(i) in clause (a) for the words "the Commissioner of Trade Tax, Special Commissioner of Trade Tax, Additional Commissioner of Trade Tax and Joint Commissioner of Trade Tax, of the Trade Tax Department" the words "the Commissioner, Special Commissioner, Additional Commissioner and Joint Commissioner of the Department of Commercial Taxes" shall be *substituted*;

(ii) in clause (b) for the words and figure "the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948" the words and figure "the Uttar Pradesh Value Added Tax Ordinance, 2007" shall be *substituted*;

(iii) in clause (c) for the words "in the Department of the Trade Tax" the words "in the Department of Commercial Taxes" and for the words "all Trade Tax Officers posted in the Department of Trade Tax" the words "all Commercial Taxes Officers posted in the Department of Commercial Taxes" shall be *substituted*;

(iv) for clause (d), the following clause shall be *substituted* namely :–

"(d) any Officer not below the rank of a Commercial Taxes Officer, posted in a Commercial Tax Circle either by the State Government or the Commissioner, Officers authorised by the State Government or the Commissioner to exercise powers under section 45, 46 and 48 of the Uttar Pradesh Value added Tax Ordinance, 2007 and the Officers, not below the rank of Commercial Taxes Officers, posted at a check-Post established under section 49 of the Uttar Pradesh Value Added Tax Ordinance, 2007, shall exercise the powers of the assessing authority under this Act";

(b) in sub-section (2), for the words "Commissioner of Trade Tax" the words "Commissioner of Commercial Taxes" and for the words and figure "the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948" the words and figure "the Uttar Pradesh Value Added Tax Ordinance, 2007" shall be *substituted*.

Amendment of
section 4

4. In section 4 of the principal Act in sub-section (5) for the words "the aggregate value of such goods in less than two lakh rupees in the case of manufacturers and three lakh rupees in the case of other dealers" the words "the aggregate value of such goods in less than five lakh rupees" shall be *substituted*.

Amendment of
section 6

5. In section 6 of the principal Act for the words and figure "the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948" the words and figure "the Uttar Pradesh Value added Tax Ordinance, 2007" shall be *substituted*.

Amendment of
section 8

6. In section 8 of the principal Act,–

(a) in sub-section (1), in the first proviso for the words and figure "the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948" the words and figure "the Uttar Pradesh Value Added Tax Ordinance, 2007" shall be *substituted*.

(b) in sub-section (3) for the words, figures and letters "provisions of sub-section (1-A), (1-B), (1-C), (1-D), 2, 3 and 4 of section 8-A of the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948" the words and figures "provisions of section 17 of the Uttar Pradesh Value Added Tax Ordinance, 2007" shall be *substituted*.

Amendment of
section 11

7. In section 11 of the principal Act, in sub-section (1) for the words, figure and letter "as defined under clause (c) of section 2 of the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948" the words, figure and letter "as defined under clause (h) of section 2 of the Uttar Pradesh Value Added Tax Ordinance, 2007" shall be *substituted*.

Amendment of
section 12

8. In section 12 of the principal Act, in sub-section (5) for the words, figures and letter "under section 8-D of the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948" the words and figures "under section 34 of the Uttar Pradesh Value Added Tax Ordinance, 2007" and for the words and figures "under sub-section (1) of section 8 of the said Act" the words and figures "under sub-section (2) of section 33 of the said Ordinance" shall be *substituted*.

9. For section 13 of the principal Act, the following section shall be *substituted* Amendment of
namely :- section 13

"13 The following provisions of the Uttar Pradesh Value Added Tax Ordinance, 2007 shall *mutatis mutandis* apply to all dealers and proceedings under this Act :-

(i) section 9-Liability of firm, association of persons and Hindu undivided family,

(ii) section 10-Tax due from deceased person payable by his representatives;

(iii) section 11-Tax liability in case of minor or incapacitated person;

(iv) section 12-Liability in case of court of wards;

(v) section 16-Burden of Proof ;

(vi) section 19-Security in the interest of revenue;

(vii) section 21-Account and documents to be maintained by dealers;

(viii) section 29-Assessment of tax of turnover escaped from assessment;

(ix) section 30-Rounding off of turnover and tax;

(x) section 31-Rectification of mistakes;

(xi) section 32-Power to set aside exparty order of assessment or penalty;

(xii) section 33-Payment and recovery of tax;

(xiii) section 36-Recovery or refund of petty amounts to be ignored;

(xiv) section 39-Power to grant installments;

(xv) section 40-Refund and adjustment;

(xvi) section 43-Procedure for disbursement of amount wrongly realised by dealer as tax;

(xvii) section 45-Power to order production of accounts, documents and power of entry, inspection, search and seizure;

(xviii) section 48-Power to seize goods;

(xix) section 49-Establishment of check posts and barriers;

(xx) section 50-Import of goods into the State by road against declaration;

(xxi) section 51-Import of goods into the State by rail, air, post, river or rope-way.

(xxii) section 52-Issue of authorisation for transit of goods through the state;

(xxiii) section 53-Power to seek assistance from police;

(xxiv) section 54-Penalties in certain cases;

(xxv) section 55-Appeal;

(xxvi) section 56-Revision by the Commissioner;

(xxvii) section 57-Tribunal;

(xxviii) section 58-Revision by High Court in Special cases;

(xxix) section 59-Determination of disputed question by the Commissioner;

(xxx) section 60-Orders against which no appeal or revision shall lie;

(xxxi) section 61-Additional evidence in appeal;

(xxxii) section 66-Objections relating to jurisdiction;

- (xxxiii) section 67-Indemnity;
- (xxxiv) section 68-Bar to certain proceedings;
- (xxxv) section 69-Certain information to be confidential;
- (xxxvi) section 71-Facility for sick industrial units;
- (xxxvii) section 72-Fees in certain cases;
- (xxxviii) section 73-Transfer to defraud revenue void;
- (xxxix) section 74-Power to issue notifications;
- (xxxx) section 75-Information to be furnished regarding change of business;

Any reference to turnover of purchase or of sale or of both, as the case may be, under the provisions of the Uttar Pradesh Value Added Tax Ordinance, 2007 shall be deemed reference to value of the scheduled goods under this Act.

Repeal and
Saving

10-(1) The Uttar Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Areas (Amendment) Ordinance, 2008 is hereby repealed.

U.P.
Ordinance
no. 1 of
2008

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the Principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of the Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With a view to introducing Value Added System of taxation for the levy and collection of tax on sale and purchase of goods in the State, the Uttar Pradesh Value Added Tax Ordinance, 2007 (UP Ordinance no. 37 of 2007) was promulgated by the Governor on December 20, 2007 and was enforced with effect from January 1, 2008. Since the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948 was repealed by the Said Ordinance, it had become necessary to change the references of the said Act and its sections by the said Ordinance and its relevant sections in the Uttar Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 2007 with effect from the date of commencement of the said Ordinance i.e. January 1, 2008. It was therefore, decided to amend the said Act for the said purpose.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Areas (Amendment) Ordinance, 2008 (U.P. Ordinance no. 1 of 2008) was promulgated by the Governor on January 11, 2008.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
S.M.A. ABIDI,
Pramukh Sachiv.